न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 129/2025 बउनवानी जर्नादन सिंह बनाम अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
केयर ऑफ श्री छीतर लाल नागर, देव दाल मील की गली गुरूनानक कॉलोनी बूंदी 323001
GCMS No-2025/ 289

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
8.10.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 4.6.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" *जिला कलेक्टर कार्यालय में कार्यरत बजरंग सिंह पुत्र श्री विजय सिंह कनिष्ठ लिपिक , एम्पलोई आईडी RJSM199132003577 को देय प्रथम व द्वितीय एसीपी (अश्योर्ड केरिअर प्रोग्रेसन) के संबंधित आदेश की प्रमाणित सूचना।* " अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बावत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक: एफ.13(01)(81)/सूकाअ/2025/1151 दिनांक 23.9.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि चाही गयी सूचना का संबंध प्रभारी अधिकारी संस्थापन अनुभाग से होने के कारण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अधिनिमय की धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 661 दिनांक 6.6.2025 से प्रभारी अधिकारी संस्थापन अनुभाग को लिखा जाने पर प्रभारी अधिकारी संस्थापन अनुभाग के पत्रांक 2002 दिनांक 13.6.2025 द्वारा लोक सूचना अधिकारी को अवगत कराया कि चाही गयी सूचना तृतीय पक्ष की होने के कारण अपीलान्ट को दिया जाना सम्भव नही है। जिसके संबंध में लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 760 दिनांक 23.6.2025 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 4.6.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना तृतीय पक्ष की होने के कारण अधिनियम की धारा 11 के तहत देय नही है। इसलिए उक्त सूचना प्रभारी अधिकारी संस्थापन अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। अत: अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	